रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2002.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 25 जुलाई, 2002/3 श्रावण, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर स्थित नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन-173001, 19 जून, 2002

संख्या पी० सी० एन-एन० एम० आर (विविध) (5) 85/99-4-1262-72.—यह कि श्रीमती वेसो देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत बालीकोटि, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर के विरूद्ध ग्राम पंचायत के धनराशि के दुरूपयोग का मामला खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है ।

यह कि श्रीमती वेसो देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत बालीकोटि, विकास खण्ड शिलाई के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों का निर्माण हुआ है उन कार्यों में मूल्यांकन से अधिक राशि व्यय दर्शाकर निम्न मदों अनुसार राशि का छलहरण एवं दुरूपयोग किया है :—

मद-1 (एस० डी० पी०).—निर्माण डंगा नजदीक राजकीय प्राथमिक पाठशाला, चामरा महराल हेतु एस० डी० पी० के अन्तर्गत रु० 23315/- रूपये स्वीकृत हुए थे, जिसमें से रु० 30000/- रूपये अग्रिम प्रधान श्रीमती वेसो देवी दर्शाया गया है । जबकि रु० 22800/- रूपये का वास्तविक

कार्य होना पाया गया । इस प्रकार इस योजना में मु0 7200/- रूपये अधिक राशि निकाल कर दुरूपयोग की गई है ।

मद-2 (जे0 जी0 एस0 बाई0).—इस मद के अन्तर्गत मु0 30000/- रूपये निर्माण नालियां ग्राम बाली हेतु स्वीकृत/प्रावधान रखा गया है । जिसमें से पूर्ण राशि मु0 30000/- रूपये प्रधान श्रीमती वेसो देवी को अग्रिम दर्शाया गया है । जबकि मु0 16493/- रूपये का वास्तविक कार्य होना पाया गया है । इस प्रकार इस योजना में मु0 13507/- रूपये की अधिक राशि निकाल कर दुरूपयोग की गई है ।

मद-3 (टी0 एस0 सी0).—इस मद के अन्तर्गत निर्माण शौचालय उच्च पाठशाला कण्डधारी हेतु मु0 40000/- रूपये की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से पूर्ण राशि मु0 40000/- रूपये अग्रिम प्रधान के नाम दर्शाया गया है । जबकि मु0 25231/- रूपये का वास्तविक कार्य होना पाया गया है । इस प्रकार इस योजना में मु0 14769/- रूपये की राशि अधिक निकालकर दुरुपयोग की गई है ।

इस प्रकार तीनों मदों की मूल रिपोर्ट जो खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई द्वारा प्राप्त है, को अनुबन्ध ,.", की प्रति सम्बन्धित को भी भेजी जानी आवश्यक है ।

अतः मैं, ओंकार शर्मा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142(1)(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती वेसो देवी, प्रधान, ग्राम पचायत बालीकोटि, विकास खण्ड शिलाई को प्रधान के पद से इस आदेश के जारी होने की तारीख से निलम्बित करता हूं । और यह भी आदेश देता हूं कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत का कोई रिकार्ड या सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंप दें ।

———

नाहन, 1 जुलाई, 2002

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (धारा-122)/2002-1496-1508.—यह कि विश्वसनीय सूत्रों से यह सूचना प्राप्त होने पर कि श्रीमती नारदा देवी पत्नी श्री इन्दर सिंह, निवासी ग्राम रिठैत, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, जो ग्राम पंचायत, सखोली, विकास खण्ड, पांवटा साहिब की वर्तमान प्रधान है, ने हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) में हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम सं0 18,2000) की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड "ण" में विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के उपरान्त अर्थात दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त एक तीसरे शिशु को जन्म दिया है । इस तथ्य की पुष्टि हेतु कथित श्रीमती नारदा देवी को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा कथित ग्राम पंचायत का सम्बन्धित रिकार्ड भी तलब किया गया ।

यह कि दिनांक 18-5-2002 को श्रीमती नारदा देवी, प्रधान, तथा एक शिकायतकर्ता, श्री हुकमी राम अपने-अपने वकीलों सहित उपस्थित हुए । श्रीमती नारदा देवी ने अपने ब्यान में बताया कि उसने तीसरे बच्चे को जन्म नहीं दिया है तथा ग्राम पंचायत के सम्बन्धित रिकार्ड में भी इस बारे कोई प्रविष्टि होनी नहीं पाई गई । किन्तु शिकायतकर्ता श्री हुकमी राम ने अपने शिकायत-पत्र में यह उल्लेख किया है कि श्रीमती नारदा देवी ने अपने तीसरे शिशु का जन्म अपने पति के भाई श्री दयाल सिंह व उसकी पत्नी श्रीमती चमेली देवी के नाम ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करवा दिया है । इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने दोनों महिलाओं व नवजात शिशु के चिकित्सा जांच का सुझाव दिया तथा इस सुझाव से श्रीमती नारदा देवी का वकील भी सहमत हो गया । श्रीमती नारदा देवी व श्रीमती चमेली देवी को शिशु सहित चिकित्सा जांच हेतु आदेश लिखित रूप में दिये गये । किन्तु श्रीमती नारदा देवी ही बिना शिशु के चिकित्सा जांच हेतु जिला चिकित्सालय नाहन में उपस्थित हुई, जिस कारण शिशु के जन्म की पुष्टि हेतु चिकित्सा जांच नहीं हो सकी ।

यह कि श्री दयाल सिंह व उसकी पत्नी श्रीमती चमेली देवी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का रिकार्ड भी तलब किया गया । तलविदा रिकार्ड में विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि इनका विवाह दिनांक 27-9-2001 को पंजीकृत किया गया है । और जन्म पंजीकरण रजिस्टर के अवलोकन से शिशु का जन्म दिनांक 10-11-2001 को होना पाया गया है । शिशु के जन्म की प्रविष्टि जन्म पंजीकरण रजिस्टर में श्री इन्दर सिंह द्वारा करवाई जानी पाई गई ।

यह कि उक्त तथ्यों में सन्देह उत्पन्न हो जाने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सतौन, जिसके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत कथित ग्राम रिठैत है, दोनों महिलाओं, श्रीमती नारदा देवी व श्रीमती चमेली देवी के गर्भावस्था के दौरान तथा शिशु के जन्म होने के उपरान्त करवाये गये उपचार से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया गया । प्रभारी/चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सतौन की रिपोर्ट तथा उन द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से पाया गया कि उनके रिकार्ड में कथित शिशु का जन्म दिनांक 10-11-2001 को होना दर्ज है तथा शिशु की माता का नाम श्रीमती नारदा देवी पत्नी श्री इन्दर सिंह, निवासी ग्राम रिठैत, ग्राम पंचायत सखौली दर्ज है तथा जिसके अनुसार शिशु को पोलियो की प्रथम खुराक दिनांक 18-12-2001 को तथा दूसरी खुराक दिनांक 19-3-2002 को दी जानी दर्ज है ।

यह कि चूंकि श्रीमती नारदा देवी ग्राम पंचायत सखौली की वर्तमान प्रधान है, जिसने अपने पद के प्रभाव से ग्राम पंचायत के रिकार्ड में तो अपनी इच्छा तथा अपना पद बचाने के लिऐ शिशु के जन्म की प्रविष्टि अपने नाम न करवा कर अपने पति श्री इन्दर सिंह के भाई श्री दयाल सिंह व उसकी पत्नी श्रीमती चमेली देवी के नाम दर्ज करवाने में सफल हो गई, किन्तु नवजात शिशु को दिनांक 10-11-2001 को श्रीमती नारदा देवी द्वारा जन्म दिये जाने की वास्तविकता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सतौन के रिकार्ड से पुख्ता हो गई है और विवादित नवजात शिशु का जन्म दिनांक 10-11-2001 को श्रीमती नारदा देवी पत्नी श्री इन्दर सिंह, निवासी ग्राम रिठैत, जो ग्राम पंचायत सखौली की प्रधान है, द्वारा ही दिया जाना माना जाता है तथा इस प्रकार श्रीमती नारदा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत, सखौली, विकास खण्ड पांवटा साहिब, हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) में हि0प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम सं0 18. 2000) की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड "ण" के अन्तर्गत प्रधान पद पर बने रहने हेतु अयोग्य पाई गई है ।

अतः मैं, ओंकार शर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हि0प्र0, हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) में हि0प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम सं0 18, 2000) की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड 'ण' के अन्तर्गत श्रीमती नारदा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत सखौली, विकास खण्ड पांवटा साहिब, को प्रधान पद पर बने रहने हेतु अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत सखौली, विकास खण्ड पांवटा साहिब के महिला श्रेणी हेतु आरक्षित प्रधान पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

नाहन, 1 जुलाई, 2002

पी0सी0एन0-एस0एम0आर0 (धारा-122)/2002-1509-20.—यह कि जिला सिरमौर की पंचायती राज संस्थाओं के निम्न वर्णित पदाधिकारी हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) में हि0प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम सं0 18, 2000) की धारा 19 द्वारा अन्तः स्थापित खण्ड 'ण' के

अन्तर्गत इस खण्ड में विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त दो से अधिक अतिरिक्त शिशुओं को जन्म दिये जाने के फलस्वरूप अयोग्य पाये गये हैं :—

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम, पद तथा पंचायती राज संस्था का नाम	परिवार रजिस्टर के अनुसार 8-6-01 से पूर्व जीवित बच्चों की संख्या	विनिर्दिष्ट अवधि, दिनांक 8-6-01 के उपरान्त जन्में शिशु की जन्म तिथि	जन्म पंजीकरण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या व पंजीकरण तिथि	आरक्षण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रणवीर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत अंधेरी, विकास खण्ड संगड़ाह ।	2 बच्चे पृ0 सं0 7 पर दर्ज है ।	28-10-2001	क्रम संख्या 4 पंजीकरण तिथि 9-11-2001.	अनारक्षित
2.	श्रीमती गंगा देवी, सदस्य, वार्ड नं0 1, ग्राम पंचायत लाना सालर, विकास खण्ड संगड़ाह ।	2 बच्चे पृ0 सं0 68 पर दर्ज है ।	11-7-2001	क्रम संख्या 22 पंजीकरण तिथि 12-7-2001.	अ0 जा0 म0
3.	श्री जगदीश, सदस्य, वार्ड नं0 5, ग्राम पंचायत शामरा, विकास खण्ड संगड़ाह ।	2 बच्चे पृ0 सं0 83 पर दर्ज है ।	24-2-2002	क्रम संख्या 10 पंजीकरण तिथि 8-3-2002.	अ0 जा0
4.	श्री मोहर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बडौल, विकास खण्ड संगड़ाह ।	8 बच्चे पृ0 सं0 249 पर दर्ज है ।	4-1-2002	क्रम संख्या 103 पंजीकरण तिथि 8-1-2002.	अनारक्षित
5.	श्री नरेश कुमार, सदस्य, वार्ड नं0 1, ग्राम पंचायत नेहली धीडा, विकास खण्ड नाहन ।	2 बच्चे पृ0 सं0 285 पर दर्ज है ।	26-1-2002	क्रम संख्या 4 पंजीकरण तिथि 28-1-2002.	अ0 जा0
6.	श्री तेलू राम, सदस्य, वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत, बडवास, विकास खण्ड पांवटा साहिब ।	5 बच्चे पृ0 सं0 50 पर दर्ज है ।	8-2-2002	क्रम संख्या 5 पंजीकरण तिथि 27-2-2002.	अनारक्षित
7.	श्री जीत सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत लोजा मानल, विकास खण्ड शिलाई ।	4 बच्चे पृ0 सं0 पर दर्ज है ।	15-6-2002	क्रम संख्या 4 पंजीकरण तिथि 18-6-2002.	अनारक्षित

1	2	3	4	5	6
8.	श्री लाल सिंह, सदस्य, वार्ड नं0 2, ग्राम पंचायत लोजा मानल, विकास खण्ड शिलाई ।	3 बच्चे पृ0 सं0 पर दर्ज है ।	2-6-2002	क्रम संख्या 3 पंजीकरण तिथि 15-6-2002.	अनारक्षित
9.	श्रीमती सोमा देवी, सदस्य, वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत खुड द्राबिल, विकास खण्ड संगड़ाह ।	4 बच्चे पृ0 सं0 55 पर दर्ज है ।	28-2-2002	क्रम संख्या 2 पंजीकरण तिथि 21-3-2002.	अ0 जा0
10.	श्री मेला राम, सदस्य, वार्ड नं0 1, ग्राम पंचायत माईना घडेल, विकास खण्ड संगड़ाह ।	5 बच्चे पृ0 सं0 36 पर दर्ज है ।	1-10-2001	क्रम संख्या 61 पंजीकरण तिथि 9-10-2001.	अ0 जा0
11.	श्री सुरेश कुमार, सदस्य, वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत रजाना, विकास खण्ड संगड़ाह ।	2 बच्चे पृ0 सं0 80 पर दर्ज है ।	1-1-2002	क्रम संख्या 1 पंजीकरण तिथि 4-1-2002.	अ0 जा0
12.	श्री दलीप सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रजाना, विकास खण्ड संगड़ाह ।	9 बच्चे पृ0 सं0 94 पर दर्ज है ।	20-8-2001	क्रम संख्या 31 पंजीकरण तिथि 26-8-2001.	अनारक्षित

यह कि उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु उक्त पदाधिकारियों को नोटिस जारी किये गये तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया गया । जांच के दौरान कलमबद्ध किये गये ब्यानातों तथा ग्राम पंचायतों के प्रस्तुत किये गय रिकार्ड के अवलोकन से उक्त तथ्यों की पुष्टि हो गई है ।

अत: मैं, ओंकार शर्मा, भा0 प्र0 से0, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, (हि0 प्र0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (2) के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 122 (1) (ण), जिसे हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम सं0 18, 2000) की धारा 19 के साथ पढ़ा जाये, के अन्तर्गत उपरोक्त पदाधिकारियों को अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा की उप धारा (1) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के ऊपरवर्णित पदों की रिक्त घोषित करता हूं ।

ओंकार शर्मा,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित